न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–8/2024

विनोद कुमार.....वादी

बनाम

देवेन्द्र कुमार गुप्ता एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
24.07.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण सं0–11 से 14 वो 16 से 23 वो 27 से 31 वो 35 की तरफ से भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के धारा–05 के अन्तर्गत एक आवेदन दिनांक 06.06.2025 को दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 24.07.2025 को आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद उपस्थिति हेतु चल रहा है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण सं0–11 से 14 वो 16 से 23 वो 27 से 31 वो 35 के तरफ से दिनांक 28.01.2025 को लिखित कथन दाखिल किया है जो वैधिक अवधि के बाद विलम्ब से दाखिल किया गया। प्रतिवादीगण सीधे–साधे व्यक्ति है जो कानून के बारे में कुछ नहीं जानते है और न परिसीमा अधिनियम के बारे में कोई जानकारी है। प्रतिवादीगण उक्त लिखित कथन दाखिल करने में जान बूझकर कोई विलम्ब या कोताही नहीं किये है, बल्कि उक्त वाद से संबंधित आवश्यक कागजात प्रतिवादीगण को समय से उपलब्ध नहीं हो सका था। ज्यों ही प्रतिवादीगण को अपने दावे से संबंधित कागजात प्राप्त हुए त्यो ही प्रतिवादीगण के तरफ से दिनांक 28.01.2025 को लिखित कथन दाखिल कर दिया गया। प्रतिवादीगण उपरोक्त वाद में संघर्ष करना चाहते है और गुण दोष के आधार पर उक्त वाद में निर्णय पाना चाहते है। प्रतिवादीगण के तरफ से दाखिल लिखित कथन में हुए विलम्ब को माफ करते हुए प्रतिवादीगण को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया गया तो प्रतिवादीगण अपना दावा रखने और उचित न्याय निर्णय पाने से वंचित रह जाएँगे जिससे प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण की तरफ से लिखित कथन दाखिल करने	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–8/2024</u>

विनोद कुमार.....वादी

बनाम

देवेन्द्र कुमार गुप्ता एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 24.07.2025	में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए प्रतिवादीगण का लिखित कथन न्यायहित में ग्रहण करने की कृपा प्रदान की जाए। इसके लिए प्रतिवादीगण श्रीमान् का सदा आभारी रहेंगे। वादी की ओर से कोई प्रत्युतर नहीं दिया गया लेकिन प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया तथा अभिलेख अवलोकन से विदित होता है प्रतिवादीगण सं0–11 से 14 वो 16 से 23 वो 27 से 31 वो 35 की ओर से एक आवेदन दिनांक 06.06.2025 को दाखिल किया गया है तथा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण की तरफ से लिखित कथन दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए प्रतिवादीगण का लिखित कथन न्यायहित में ग्रहण करने की कृपा प्रदान की जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए, जिससे वाद का उचित ढंग से निपटारा किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण सं0–11 से 14 वो 16 से 23 वो 27 से 31 वो 35 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.06.2025 को मो0 1000/– रूपये के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वाद दिनांक 10.09.2025 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	